न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 67/2024

जीसीएमएस नं. :– 2024/99

प्रार्थीगण :–
1.रामचंद्र पुत्र छगना राम जाति कुम्हार निवासी सियारा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता
1 श्री मधुसूदन चौधरी प्रार्थी की ओर से
2 तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी

दर्ज दिनांक :–22.3.2024

निर्णय

दिनांक :– 27/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सियारा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन आयी हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	खंसरा नम्बर	रकबा	किस्म
37	65	4.9430 हैक्टयर	बारानी प्रथम
5	267	4.8540 हैक्टयर	बारानी तृतीय
कुल खंसरा 02 कुल रकबा 9.7970 हैक्टयर			

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 सलंग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है खसरा नम्बर 65 में प्रार्थी का 1/5 वां हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 267 में प्रार्थी का 1/15वां हिस्सा है प्रार्थी माफिक हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाडा किया हुआ नही है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही रही। प्रार्थी ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 65, 267 कुल खंसरा 02 कुल रकबा 9.7970 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम चन्द्रा गलत रूप से दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करवाना पडेगा इस पर प्रार्थी ने 18/03/2024 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर अप्रार्थी से अपना नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय से ही करवाने हेतू कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड रहा है। प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

नाम रामचंद्र पुत्र छगना राम है तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार एवं अन्य सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामचंद्र पुत्र छगना राम दर्ज है प्रार्थी को बोल–चाल भाषा में चन्द्रा पुत्र छगना नाम से भी जाना पुकारा जाता है इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम चन्द्रा पुत्र छगना सेवन से त्रुटिवंश गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामचंद्र पुत्र छगना राम दर्ज है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर चन्द्रा पुत्र छगना के स्थान पर रामचंद्र पुत्र छगना राम करवाना चाहता है। चन्द्रा पुत्र छगना व रामचंद्र पुत्र छगना राम प्रार्थी ही है। सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामचंद्र पुत्र छगना राम दर्ज है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर चन्द्रा पुत्र छगना के स्थान पर रामचंद्र पुत्र छगना राम करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम सियारा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खंसरा नम्बर 65 रकबा 4.9430 हैक्टयर बारानी प्रथम, खंसरा नम्बर 267 रकबा 4.8540 हैक्टयर बारानी तृतीय भूमि में प्रार्थी का नाम दुरूस्त फरमाया जाकर चन्द्रा पुत्र छगना के स्थान पर रामचंद्र पुत्र छगना राम दर्ज इन्द्राज करवाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम सियारा के खसरा नम्बर 65 व 267 में प्रार्थी का नाम चन्द्रा पुत्र छगना के स्थान पर रामचंद्र पुत्र छगना राम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम ग्राम सियारा के खसरा नम्बर 65 व 267 में प्रार्थी का नाम चन्द्रा पुत्र छगना के स्थान पर रामचंद्र पुत्र छगना राम किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने खाता दुरूस्ती हेतु अनापत्ति जाहिर की।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व नाम ग्राम सियारा के खसरा नम्बर 65 व 267 में प्रार्थी का नाम चन्द्रा पुत्र छगना के स्थान पर रामचंद्र पुत्र छगना राम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 27/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर